पूर्व मंत्री महेश जोशी जेल में ही रहेंगे

900 करोड़ के JJM घोटाले में हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की; 24 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी

जयपुर, 26 अगस्त (का.सं.)। पूर्व मंत्री महेश जोशी की राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन **(JJM)** घोटाले में 24 अप्रैल को **ED** ने उनको गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 8 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। मंगलवार को जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद जोशी ने हाईकोर्ट में बेल एप्लिकेशन लगाई थी।

विराट तेजा मेला 2025: कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन, अंतरराष्ट्रीय दंगल का शुभारंभ

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 26 अगस्त (दीपांकुर चौहान)। नगरपालिका मण्डल केकड़ी द्वारा विगत वर्षो की भांति विराट तेजा मेला 2025 दिनांक 25.08.2025 से 03.09.2025 तक आयोजित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत आज दिनांक 26.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे महिला–पुरूष कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारम किया गया जिसमें सर्वप्रथम मुख्य अतिथि गोपाल पायक पूर्व विधायक, वीरभद्र सिंह अध्यक्ष भाजपा खेल प्रकोष्ट,, विशिष्ट अतिथि रायचंद बागड़ी भाजपा जिला महामंत्री, धनराज नायक पूर्व पार्षद, अतिथि विष्णु साहू भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, सुरेश बैरवा भाजपा शहर उपाध्यक्ष का माला का पहनाकर व साफा बंधाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात अतिथियों को खिलाड़ियों से परिचय किया गया। उद्घाटन में प्रथम मुकाबला अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू व मेला संयोजक कैलाश चंद चैधरी की पार्षदगणो की टीम (नवल दाधीच, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, पार्षदप्रतिनिधि रितेश जैन, प्रितम जैन, संजय बेनीवाल, सत्यनारायण माली) व मनोज कुमार मीणा अधिशाषी अधिकारी पालिका कमिर्यो (विमल कुमार दाधीच, भागचंद बैरवा, शशिकांत दाधीच, राकेश कुमार पारीक, देवेन्द्र जाट, करतान मीणा, सत्यनारायण माली) के बीच में हुआ है जिसमें पालिका अधिशासी अधिकारी की टीम विजय रही। इसके पश्चात बाहर की महिला–पुरूष कबड्डी टीमों में रोमांचक मुकाबला रहा तथा सायं 7 बजे पटेल मैदान पर अन्तर्राष्ट्रीय दंगल (कुश्ती) का शुभारम्भ किया गया। सभी कार्यक्रमों का संचालन सुरेन्द्र जोशी द्वारा किया जायेगा।

कार्यक्रम के दौरान पार्षदगण, जनप्रतिनिधि व कर्मचारीगण, उपस्थित रहे तथा जनता ने प्रतियोगितों का बड़ा आनंद लिया व तेला मेला 2025 के अन्तर्गत कल दिनांक 27.08.2025 को पालिका रंगमंच पर महिला–पुरूष कबड्डी प्रतियोतिगा व पटेल मैदान पर अन्तर्राष्ट्रीय दंगल (कुश्ती) का सायं 6.00 बजे समापन किया जायेगा।

यात्रियों की सुविधा हेतु कानपुर सेट्रल-असारवा- कानपुर सेट्रल साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन

जयपुर, 26 अगस्त (का.सं.)। रेलवे द्वारा आगामी दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ पर्व पर अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु कानपुर सेट्रल–असारवा–कानपुर सेट्रल साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 01905, कानपुर सेट्रल–असारवा साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 22.09.25 से 03.11.25 तक (07 ट्रिप) कानपुर सेट्रल से प्रत्येक सोमवार को 08.15 बजे रवाना होकर अगले दिन 05.45 बजे असारवा पहुँचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 01906, असारवा–कानपुर सेट्रल साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 23.09.25 से 04.11.25 तक (07 ट्रिप) असारवा से प्रत्येक मंगलवार को 09.15 बजे रवाना होकर अगले दिन 07.00 बजे कानपुर सेट्रल पहुँचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में इटावा, फिरोजाबाद, टूण्डला, ईदगाह, फतेहपुर सीकरी, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, केशोराय पाटन, बुन्दी, मांडलगढ, चंदेरिया, मावली, उदयपुर सिटी, जावर, डूंगरपुर व हिम्मतनगर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यलय दिल्ली दक्षिण ने दिल्ली के जोनापुर गाँव में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

नई दिल्ली, 26 अगस्त (का.सं.)। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने *3 माह के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान* के अंतर्गत दिल्ली के जोनापुर गाँव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना **(PMSBY)**, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना **(PMJJY)** तथा बैंक की अन्य वित्तीय समावेशन पहलों के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर श्री मुकुल एन. दंडिगे मुख्य महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, के साथ श्री शिशराम तुन्दवाल, अंचल प्रमुख, दिल्ली, श्री अनिल अग्निहोत्री, क्षेत्रीय प्रमुख दिल्ली दक्षिण, तथा श्रीमती आकांक्षा रस्तोगी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर **(LDM)**, दक्षिणी दिल्ली उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान 100 नए खाते पीएमजेजेवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत खोले गए, जो ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और उत्साह को दर्शाता है। इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए।

भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति: ट्रम्प व्यापार प्रतिबंध के बीच आत्मनिर्भर भारत की राह

सुदर्शन सेठी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) राजस्थान कैडर

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 26 अगस्त (का.सं.)। अमेरिका द्वारा लगाए गए ट्रम्प व्यापार प्रतिबंध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को शीघ्रतम समय में व्यापक, संतुलित और दूरदर्शी रणनीति अपनानी होगी। इसके लिए सभी हितधारकों – विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्रस्रश्व) क्षेत्र और मत्स्य उद्योग – की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

इस दिशा में जीएसटी सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक को रेपो रेट में उपयुक्त संशोधन पर विचार करना चाहिए ताकि उद्योग और निर्यात को प्रोत्साहन मिले। साथ ही, द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं को शीघ्र अंतिम रूप देकर व्यापारिक विविधीकरण की ठोस योजना बनानी होगी। भारत को अपने मुद्रा विनिमय समझौतों की गहन समीक्षा करनी होगी ताकि आयात–निर्यात पर संभावित दबाव को कम किया जा सके। इसके साथ ही, चीन सहित अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण और व्यावहारिक संबंध बनाए रखना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारी नीतियों में आत्मनिर्भर भारत का स्पष्ट संदेश झलकना चाहिए, विशेषकर व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार से संबंधित निर्णयों में। यदि समन्वित, पारदर्शी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ कदम बढ़ाए जाएँ, तो तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत 7% जीडीपी वृद्धि दर हासिल करने में सक्षम है।

नगर परिषद सभापति ने किया औचक निरीक्षण

पेंडिंग फाइलों को अति शीघ्र निस्तारण कर आम नागरिक को राहत देने के निर्देश

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

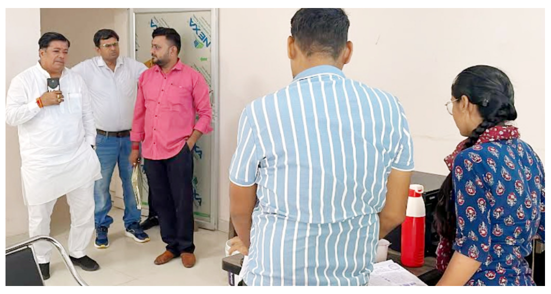

गंगापुर सिटी, 26 अगस्त (मदन मोहन गर्ग)। नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रिकार्डों की स्थिति देखी और परिषद कर्मचारियों से उनके काम के बारे में भी पूछताछ की। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि सभी कर्मचारी अपने पटल पर नियमित रूप से मौजूद रहे कार्यों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करें जनता के कार्यों को महत्व दें। नगर परिषद के कार्यालय में सभापति ने एक–एक कर्मचारी की सीट पर जाकर काम देखा। कहा कि यदि भविष्य में काम के समय में कोई कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ने कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। नगर परिषद कार्यालय में आए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं लौटना है। कार्य दिवस के दौरान जो भी नगरवासी अपनी समस्या लेकर आएगा, उसकी समस्या पर विचार करके यथासंभव निराकरण भी कराया जाएगा। इस दौरान जो कार्मिक अनुपस्थित मिले उनकी अनुपस्थिति लगाकर उन्हें नोटिस देकर जवाब पेश करने के लिए कहा। इसके बाद नगर परिषद में ही बने मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के कार्यालय में निरीक्षण किया वहां उपस्थित कार्मिकों से नरेगा कार्य की स्थिति के बारे में जाना एवं कहा कि मुझे प्रत्येक दिन की रिपोर्ट भेजे।

हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल का 41साल पुराना बर्खास्तगी आदेश किया रद्द

सेवानिवृति आयु तक सेवा में मानते हुए सभी परिलाभ देने के आदेश, 1984 में किया था बर्खास्त

जयपुर, 26 अगस्त (का.सं.)। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के कॉन्स्टेबल को बर्खास्त करने के 41 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रमेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृति आयु तक उसकी पूरी सेवा मानते हुए रिटायरमेंटल बेनिफिट्स दिए जाएं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने और उसकी अपील खारिज करने के दौरान तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

एमजेएफ बननें पर लॉयन दिनेश सिंहल का किया सम्मान

गंगापुर सिटी, 26 अगस्त (मदन मोहन गर्ग)। लॉयन्स क्लब प्रान्त 3233 ई–1 की प्रथम केबिनेट मीटिंग एवं शपथ ग्रहण समारोह 23 व 24 अगस्त को प्रान्तपाल लॉयन सुधीर वाजपेयी की अध्यक्षता में हुआ केबिनेट मीटिंग में लॉयन दिनेश सिंहल पत्रकार द्वारा एमजेएफ बननें पर लॉयन सी.एस. तोमर द्वारा माल्यार्पण कर इनका स्वागत किया गया। केबिनेट मीटिंग में पीड़ित मानव की सेवा एवं लॉयन सदस्यो की वृद्वि करनें पर चर्चा की गई साथ ही मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के दो हिस्सों को विभाजन करनें के निर्णय को सर्वसम्मति से पारित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथी प्रवीण छाजेड पूर्व इन्टरनेशनल डायरेक्टर थे। उन्होने रीजन चैयरपर्सन, जोन चैयरपर्सन, सह प्रान्तपाल प्रथम सह प्रान्तपाल द्वितीय एवं केबिनेट सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। गंगापुर सिटी लॉयन्स क्लब केबिनेट सदस्य लॉयन दिनेश सिंहल पत्रकार एरिया लीडर जोन चैयरपर्सन लॉयन डॉ. निर्मल शर्मा केबिनेट सदस्य लॉयन विष्णु ट्रांसपोर्ट वाले, लॉयन अवध बिहारी अग्रवाल उपस्थित थे।

जयपुर में किडनैप कर लूटने वाले बदमाश 24–घंटे में गिरफ्तार

नई नौकरी लगाने के नाम पर बुलाकर लूटा था, पुलिस ने बरामद किया सामान

जयपुर, 26 अगस्त (का.सं.)। जयपुर के मालपुरा गेट थाना पुलिस ने अपहरण व लूट के 7 आरोपियों को 24 घंटे में देवली (टोंक) से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपियों से लूटा गया माल,वारदात में शामिल कार बरामद की है। डीसीपी ईस्ट संजीव नैन ने बताया–मालपुरा गेट थाने में 23 अगस्त को परिवादी उस्मान खान ने एक रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि वह मंगल विहार कालोनी कोहिनूर सिनेमा के पास सांगानेर में रहता है। शिप्रापथ पर सिलाई बुनाई कंपनी में काम करता है। 22 अगस्त उसके पास फोन आया। इसमें कहा कि वह उसे दूसरी कम्पनी में नौकरी लगा देगा। इस पर पीड़ित आरोपी से मिलने पहुंच गया। इस दौरान पीड़ित का दोस्त दीपक बर्मन भी साथ था। आरोपियों ने दोनों का अपहरण किया।

बिहार में महागठबंधन को लेकर जनता में उत्साह: तेजस्वी यादव

पटना, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को राबड़ी आवास से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की। यह यात्रा सुपौल, मधुबनी और दरभंगा में आयोजित की जाएगी। तेजस्वी ने कहा बिहार की जनता में महागठबंधन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।

तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए वोटर अधिकार यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने [redacted] महागठबंधन के नेता राहुल गांधी[redacted]थ मिलकर जनता के बीच जा र[redacted]र जनसंपर्क अभियान चला र[redacted] जनता में महागठबंधन के प्रति[redacted]त्साह है और लोगों का प्यार, आ[redacted]और समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे वोटर अधिकार यात्रा से एनडीए नेताओं में बेचैनी साफ दिख रही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि एनडीए का मतलब है 'नहीं देंगे अधिकार'। ये लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बिहार, जो लोकतंत्र की जननी है, वहां ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आगामी चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी।

राहुल गांधी द्वारा ऑर्डिनेंस फाड़ने के मुद्दे पर तेजस्वी ने कहा, देश में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जानबूझकर ऐसे बिल लाए जा रहे हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करने और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हैं।

उन्होंने बिहार में उद्योगों की कमी, शुगर मिलों के बंद होने और पलायन जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि एनडीए सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास असंभव है। उन्होंने कहा, 11 साल केंद्र में और 20 साल बिहार में एनडीए की सरकार रही, फिर भी बिहार की स्थिति जस की तस है। इसके लिए एनडीए ही जिम्मेदार है। भाजपा के यूथ कॉन्क्लेव पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा, शिक्षा मंत्री को यह बताना चाहिए कि पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला।

चेक अनादरण मामला: 3 लाख के चेक पर आरोपी को 1 साल की सजा, 4 लाख रुपये प्रतिकर का आदेश

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 26 अगस्त (दीपांकुर चौहान)। 3 लाख के चेक अनादरण के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी प्रथम ने आरोपी को 1 साल की सजा सुनाते हुए सहित 4 लाख रुपये प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए।

ग्राम मेवदा कला निवासी मोहन लाल रेगर पुत्र रामदेव रेगर ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि उसने अभियुक्त परमेश्वर शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा निवासी केकड़ी ने उससे 3 लाख रूपये उधार लिए जिसकी अदायगी पेटे एक चेक बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा केकड़ी का दिनांक 18 दिसंबर 2015 राशि 3 लाख रुपया का भर कर दिया। अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित उक्त चेक को अभियुक्त के कहे अनुसार उसने संबंधित बैंक में पैसे जमा करने हेतु वास्ते संग्रहण एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जहां से उक्त चेक को खाते में अपर्याप्त राशि के पृष्ठांकन से अनादिृत कर जरिए अनादरण मीमो उसको लौटा दिया गया ।इसके उपरांत उसने अपने वकील के जरिए विधिक नोटिस 30 दिसंबर 2015 को अभियुक्त परमेश्वर को प्रेषित किया तथा उक्त नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अभियुक्त ने चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया ।

इस प्रकार अभियुक्त का कृत्य धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया एवं चेक में वर्णित राशि मय शास्ति हर्जे – खर्चे के साथ दिलवाने जाने का निवेदन किया । जिसमें न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त को तलब किया तथा अपराध का आरोप सारांश पृथक विरचित कर सुनाया । उक्त प्रकरण में परिवादी व अभियुक्त ने बतौर गवाह परीक्षित करने के पश्चात उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने चेक अनादरण के आरोपी परमेश्वर शर्मा को 1 साल की सजा सहित 4 लाख रुपये प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए।

जेएसड[redacted]ू सरब्लोह मोटर्स और टॉमकार, यूएसए[redacted] स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट वेंचर बनाया

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चंडीगढ़, 26 अ[redacted]का.सं.)। जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनी जेएसडब्ल्यू[redacted]प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू स[redacted]मोटर्स ने आज उच्च–प्रदर्शन वाले ऑल–टेरेन व्हीक[redacted]Vs) केविश्व–प्रसिद्ध निर्माता टॉमकार यूएसए के स[redacted]त में TX रेंज के ATVs के स्थानीयउत्पादन के लि[redacted]ट्रेटेजिक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। यह ऐतिहासिक स[redacted]जेएसडब्ल्यू समूह की एक बड़ी पहल है जो भा[redacted]शस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs[redacted]पुलिस इकाइयों और अल्ट्रा–ड्यूरेबल चरम गति[redacted] ऑफ–रोड प्लेटफार्मोंकी आवश्यकता वाले रणनी[redacted]द्योगिक क्षेत्रों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित स्ट्रेटेजि[redacted]लटी प्लेटफार्मों को विकसित करने के भारत के प्रय[redacted]अनुरूप है।

जेएसडब्ल्यू सम[redacted]पार्थ जिंदल ने कहा, हम जेएसडब्ल्यू सरब्लोह[redacted]और टॉमकार यूएसए के बीच इस स्ट्रेटेजिक ज्वाइंटवें[redacted]षणा करते हुए बेहद उत्साहित हैं। TX प्लेटफॉर्म को हमारे सशस्त्र बलों औरसुरक्षा एजेंसियों की कड़ी मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि यहबेहतर स्थायित्व, लचीलापन और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। जेएसडब्ल्यू सरब्लोहमोटर्स के सीईओ और संस्थापक निदेशक जसकीरत व्लादिमीर सिंह नागरा ने कहा, यह संयुक्तउद्यम सिर्फ एक व्यावसायिक साझेदारी से कहीं अधिक है, यह दृष्टिकोण और उद्देश्य काएक रणनीतिक गठबंधन है। टॉमकार यूएसए के संस्थापक और प्रिंसिपल राम जार्चीने कहा, हम जेएसडब्ल्यू समूह के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट वेंचर की घोषणाकरते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो भारत में टॉमकार के प्रवेश में एक महत्वपूर्णमील का पत्थर है। टॉमकार यूएसए के अंतरिम सीईओ मार्क डब्ल्यू फराज ने टिप्पणीकी हम भारतीय सेना को सिद्ध, युद्ध–परीक्षणित टॉमकार प्लेटफॉर्म प्रदान करके आधुनिकयुद्ध की मांगों के लिए भारत के अनुकूलन में योगदान करने की उम्मीद करते हैं।

निवास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे आगे एनएचएफपीएल के नाम से संदर्भित किया जाएगा)
पंजीकृत कार्यालयः - यूनिट नंबर 305, तीसरी मंजिल, विंग 2/ई, कॉर्पोरेट एवेन्यू, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093
NIWAS HOUSING FINANCE

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस

एनएचएफपीएल ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं को आवासीय परिसर के बंधक के विरुद्ध गृह ऋण/बंधक ऋण/निर्माण ऋण स्वीकृत किया है। उक्त ऋणों का पुनर्भुगतान अनियमित था और खातों को अंततः राष्ट्रीय आवास बैंक/आरबीआई के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
इसलिए **एनएचएफपीएल** ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक नोटिस जारी किया है और उधारकर्ताओं से मांग नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ताओं के खिलाफ उल्लेखित कुल बकाया चुकाने का आह्वान किया है। इस प्रकाशन द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ताओं को उक्त मांग नोटिस की तारीख से **60 दिनों** के भीतर उनके खिलाफ उल्लेखित कुल बकाया राशि और भुगतान तक अर्जित अतिरिक्त शुल्क और ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर **एनएचएफपीएल** सभी या किसी कानूनी अधिकार का सहारा लेगा। संपत्तियों पर कब्ज़ा करना, उसका निपटान/बिक्री करना और प्राप्त आय को बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित करना।
उधारकर्ताओं को संपत्तियों के स्वामित्व पर तीसरे पक्ष के हित को अलग करने या बनाने से भी रोका जाता है।

क्र. सं.	स्थान/ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग नोटिस भेजे जाने की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि
1.	भरतपुर LNBRPOHL-02240041088	मेघ सिंह (उधारकर्ता), पुकाती (सह–उधारकर्ता)	14–08–2025	रुपये 513990/– (पांच लाख तेरह हजार नौ सौ नब्बे रुपये मात्र)

संपत्ति का विवरणः संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल पट्टा संख्या 52, भूमि माप क्षेत्र 108.33 वर्ग गज, गांव–कवाई, ग्राम पंचायत कवाई, पंचायत समिति–नदबई, तहसील–नदबई, जिला–भरतपुर (राजस्थान) निम्नलिखित सीमाएं हैं पूर्व– 65 फीट इस तरफ जगत सिंह का घर, पश्चिम– 65 फीट इस तरफ शिवराम का घर, उत्तर–15 इस तरफ दिगंबर का घर, दक्षिण– 15 इस तरफ चौड़ी सड़क (कुल माप क्षेत्र 108.33 वर्ग गज)

दिनांकः– 27.08.2025
स्थानः– भरतपुर
एसडी/–
प्राधिकृत अधिकारी
निवास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat
परिशिष्ट –4–क अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना
पंजीकृत कार्यालयः – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन: – 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com
भिवाड़ी शाखा:–ए–10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी–301019, राजस्थान ग्रीन पार्क शाखा:–बिल्डिंग नंबर एस–8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लेक्स, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निर्दिशित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा, "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निर्दिशित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः www.pnbhousing.com में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करनेकी अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/BHI/0617/401897, बी.ओ.: भिवाड़ी, सुनीता देवी/बच्चू सिंह	06.06.2024 तक रु. 600439.91	भौतिक कब्जा	101,1, टावर ई–13, बीडीआई आनंदा, गांव झिवाना और खातीवास, तहसील तिजारा, जिला–अलवर, राजस्थान, अलवर, राजस्थान–305001	रु. 307000	रु. 30700	11.09.2025	रु. 10000	04.09.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	12.09.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Unknown
HOU/GRP/0519/694262, बी.ओ.: ग्रीन पार्क, जय प्रकाश आनंद / सुदीप आनंद	16.10.2024 तक रु. 1513929.87	भौतिक कब्जा	डी3–0907,9, टावर डी, डिलाइट और स्टेटस रेजीडेंसी, खसरा नंबर–205, 206, 207, 208, 209, 679/210, गांव–टपुकारा, तिजारा भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान, भारत–301019	रु. 1300000	रु. 130000	11.09.2025	रु. 10000	04.09.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	12.09.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Unknown

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाती द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी सदर्भो में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सं) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तो पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, सपत्ति / सुरक्षित सपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–www.bankeauctions.com सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी दीपक शाह, पवन कुमार, संपर्क नंबर 1800120 8800, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा www.pnbhousing.com पर देखें।
स्थानः राजस्थान, दिनांकः 27.08.2025
प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सांकेतिक कब्जे की सूचना
ICICI Home Finance
पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051
कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400059
शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, ए–ब्लॉक, दुकान नंबर 8, एस.के. प्लाजा, एबव एयरटेल, पुर रोड, भीलवाड़ा–311001
शाखा कार्यालयः प्लॉट नंबर ए–52/1, अशोक नगर–III स्कीम, खसरा नंबर 1477, जिला दौसा, राजस्थान 303303
जबकि
प्रतिभूतिकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे हस्ताक्षरकर्ता आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है। प्रवर्तन) नियम 2002 ने नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया।
चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम नीचे उल्लेखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।
सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम/ ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्ज़ा की तिथि	सूचना मांग की तारीख /मांग सूचना राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	बरदी चंद माली (उधारकर्ता), सोनिया (सह–उधारकर्ता), **LHBLW**00001488611	पट्टा संख्या 43, ग्राम पंचायत रैला, पंचायत समिति बनेड़ा, ओझा मोहल्ला ग्राम रैला बनेड़ा भीलवाड़ा राजस्थान 311024 पर स्थित है। सीमाऐं से घिरा हुआ– उत्तर: श्री राम कुवर गुर्जर की संपत्ति, दक्षिण: श्री छीतर माली की संपत्ति, पूर्व: श्री मेहता गुर्जर की संपत्ति, पश्चिम: सार्वजनिक रास्ता। **कब्जे की तिथि: 22–अगस्त–25**	23–04–2025 रु. 498205/–	भीलवाड़ा
2.	बरदी चंद माली (उधारकर्ता), सोनिया (सह–उधारकर्ता), **LHBLW**00001488612	पट्टा संख्या 43, ग्राम पंचायत रैला, पंचायत समिति बनेड़ा, ओझा मोहल्ला ग्राम रैला बनेड़ा भीलवाड़ा राजस्थान 311024 पर स्थित है। सीमाऐं से घिरा हुआ– उत्तर: श्री राम कुवर गुर्जर की संपत्ति, दक्षिण: श्री छीतर माली की संपत्ति, पूर्व: श्री मेहता गुर्जर की संपत्ति, पश्चिम: सार्वजनिक रास्ता। **कब्जे की तिथि: 22–अगस्त–25**	23–04–2025 रु. 25918/–	भीलवाड़ा
3.	कल्याण सहाय मीना (उधारकर्ता), पंछी देवी मीना (सह–उधारकर्ता), **LHDAU**00001565797	लीसोल्ड पंछी देवी पट्टा नंबर 37 जोपाड़ा ग्राम पंचायत ठिकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा ना दौसा राजस्थान 303509, सीमाऐं से घिरा हुआ– उत्तर: गली थान हाउस ऑफ बद्री, दक्षिण: आम रास्ता, पूर्व: सेल्फ चोक और आम रास्ता, पश्चिम: गली थान हाउस ऑफ बद्री। **कब्जे की तिथि: 22–अगस्त–25**	21–05–2025 रु. 552682/–	दौसा
4.	दिनेश चंद मीणा (उधारकर्ता), पितराम मीणा (सह–उधारकर्ता), अनोज कुमारी (सह–उधारकर्ता), **LHDAU**00001528255	एनए मिसाल नंबर 57 संकल्प नंबर 05 ग्राम पंचायत, नाहरखोरा पंचायत समिति, सिकराय, दौसा ना दौसा राजस्थान 303303, सीमाऐं से घिरा हुआ– उत्तर: सड़क, दक्षिण: श्री राम प्रसाद का घर, पूर्व: श्री सुवा का घर, पश्चिम: सड़क। **कब्जे की तिथि: 22–अगस्त–25**	21–05–2025 रु. 635916/–	दौसा
5.	दिनेश चंद मीणा (उधारकर्ता), पितराम मीणा (सह–उधारकर्ता), अनोज कुमारी (सह–उधारकर्ता), **LHDAU**00001528719	एनए मिसाल नंबर 57 संकल्प नंबर 05 ग्राम पंचायत, नाहरखोरा पंचायत समिति, सिकराय, दौसा ना दौसा राजस्थान 303303, सीमाऐं से घिरा हुआ– उत्तर: सड़क, दक्षिण: श्री राम प्रसाद का घर, पूर्व: श्री सुवा का घर, पश्चिम: सड़क। **कब्जे की तिथि: 22–अगस्त–25**	21–05–2025 रु. 33320.8/–	दौसा

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेच दिया जाएगा। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधान।
दिनांक: 27.08.2025 । स्थान : राजस्थान
प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्व[redacted]काशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मा[redacted]यपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08